



कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, पोस्ट ऑफिस - सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013
दूरभाष : 0771 2779202 फैक्स : 0771 2779210 ई-मेल : examination.ktujm@gmail.com

क्रमांक 1381/परीक्षा/2020

रायपुर, दिनांक 02/03/2020

// अधिसूचना //

सेमेस्टर परीक्षा जुलाई-दिसम्बर 2019 में सम्मिलित परीक्षार्थी पात्रतानुसार विश्वविद्यालय कार्यालय में परीक्षाफल घोषणा तिथि से 15 दिनों के अंदर पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र एवं विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.ktujm.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं।

(डॉ. आनंद शंकर बहादुर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 02/03/2020

पृ.क्र 1381/परीक्षा/2020
प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के निज सहायक, कुलसचिव कार्यालय।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अध्ययन शाला
3. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र, को विश्वविद्यालय की वेब साइट में अपलोड करने हेतु।

..... कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव



कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

काठाडीह, पोस्ट ऑफिस - सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492 013
दूरभाष : 0771 2779202, 2779203



पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र

प्रपत्र क्रमांक

मूल्य : रु. 30/-

परीक्षा का नाम -----

टीप : पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन-पत्र, परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा।

प्रति,

कुलसचिव,
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे निम्न दर्शाए गए प्रश्नपत्र के उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन कराने की अनुमति/पात्रता नियमानुसार प्रदान करें।

अनुक्रमांक	विषय/प्रश्नपत्र के नाम	अधिकतम अंक	संबंधित प्रश्न-पत्र का प्राप्तांक	विशेष

- छात्र/छात्रा का नाम -----
- घर का पता -----
- परीक्षा का नाम ----- मुख्य/परीक्षा वर्ष ----- माह -----
- अनुक्रमांक (रोल नं.) -----
- नामांकन क्रमांक -----
- आधार नम्बर -----
- परीक्षा केंद्र का नाम -----
- परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि -----
- निर्धारित शुल्क रूपये ----- (अक्षरी रूपये) -----
विश्वविद्यालय कार्यालय में नकद रसीद क्रमांक ----- दिनांक -----
द्वारा जमा किया जा चुका है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो जानकारी दी गई है वह सही है। अध्यादेश क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित शर्तों को मान्य करता/करती हूँ। मैंने पुनर्मूल्यांकन के नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय मुझे अंतिम रूप से मान्य होगा। रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है।

दिनांक -----

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूर्ण पता:-

मोबाईल नम्बर-

पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश :-

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत, नियमों के अधीन पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करें।
2. आवेदन-पत्र सोच समझ कर सही-सही भरा जावे। आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र हेतु रु 30/- शुल्क वित्त शाखा में जमा कर आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय अध्ययन शाला के कार्य सहायक से प्राप्त कर सकते हैं। बी.ए.जे.एम.सी. के महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र शुल्क रु. 30/- महाविद्यालय में जमाकर आवेदन-पत्र महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त करें तथा डिमांड ड्राफ्ट जो " कुलसचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर" के पदनाम पर देय हो, तैयार कर आवेदन-पत्र अंक सूची सहित वित्त शाखा में जमा किया जावेगा।
4. आवेदन के साथ संबंधित परीक्षा की कम्प्यूटर जनित अंकसूची की प्रति/परीक्षाफल T R Sheet संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बिना कम्प्यूटर जनित अंकसूची/परीक्षाफल T R Sheet की प्रति के आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
5. आवेदन-पत्र बैंक ड्राफ्ट सहित विश्वविद्यालय में अंतिम तिथि के पूर्व जमा हो जाना चाहिये। शुल्क विश्वविद्यालय के केश काउण्टर में भी सीधे नगद जमा किया जा सकता है, अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. परीक्षा परिणाम निर्गमन तिथि 15 दिन की अवधि में पुनर्मूल्यांकन शुल्क रूपये 250/- प्रति प्रश्न-पत्र पर जमाकर पुनर्मूल्यांकन आवेदन किया जा सकता है।
7. परीक्षार्थी दो प्रश्न-पत्रों का पुनर्मूल्यांकन जाँच करा सकता है, दो प्रश्न पत्रों के लिए अलग अलग दो आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र में दो प्रश्न-पत्रों के लिए निवेदन किया जा सकता है।
8. पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार किया जावे :-
 - (क) ए.टी.के.टी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों हेतु पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
 - (ख) प्रायोगिक परीक्षाओं, आंतरिक मूल्यांकन के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जावेगी।
 - (ग) जो परीक्षार्थी सेमेस्टर परीक्षा स्कीम के अंतर्गत स्नातक/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर परीक्षाओं के सभी प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए हैं वे दो से अधिक प्रश्न-पत्रों का पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे
 - (घ) जो परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन हेतु पात्रता नहीं रखते या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किये हैं। ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेंगे एवं जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
9. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम की सूचना विश्वविद्यालय के वेब साईट www.ktujm.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं।
10. परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबंधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हों तो) कुलसचिव को लिखित में अवगत कराना आवश्यक है ताकि इस संबंध में कार्यवाही किया जा सके।

कुलसचिव